विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–24.01.2017 को आयोजित बिहार शहरी आयोजना एवं विकास बोर्ड के पँचम बैठक की कार्यवाही –

उपस्थिति – अनुलग्नक के अनुसार।

विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड, पटना द्वारा उपस्थित सदस्यों को स्वागत करते हुए निर्धारित कार्यावली प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया।

(2). प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सभी सदस्यों को बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम–9 के अधीन आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा से संबंधित प्रावधानों से अवगत कराया गया।

(3). बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की पूर्व के बैठकों में लिये गये निर्णय एवं विभाग द्वारा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन के संबंध में जारी दिशा निदेश के आलोक में पाँचों शहरों के आयोजना क्षेत्र के सीमांकन हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया से विकास आयुक्त को अवगत कराया गया।

(4). बैठक में गया, आरा, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ एवं सहरसा का आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा पर विचार विमर्श किया गया।

(5). पाँचों शहरों के आयोजना क्षेत्रों के सीमांकन के प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण बोर्ड के समक्ष किया गया। प्रस्तुतीकरण के क्रम में वित्त आयुक्त द्वारा बतलाया गया कि मास्टर प्लान की लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत वृहत्त क्षेत्र को शामिल करने पर विचार किया जाए। उसके द्वारा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन के क्रम में जिलापदाधिकारी के कार्यालय को Technical Support दिए जाने के संबंध में पृच्छा की गयी। प्रधान सचिव नगर विकास द्वारा बताया गया कि आयोजना क्षेत्र के सीमांकन के लिए विभाग द्वारा दिशा–निदेश जारी किए गए थे। विभाग के तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा स्थानीय क्षेत्र का भ्रमण किया गया एवं विभाग द्वारा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन का प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया गया। जिला पदाधिकारी कार्यालय में संबंधित पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर इसे अन्तिम रूप देकर जिला पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित कर आम–जनों एवं हितधारकों से सुझाव एवं आपत्तियाँ प्राप्त कर इसे निष्पादित कर जिला पदाधिकारी द्वारा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन का प्रारूप विभाग को भेजा गया है, जिसपर इस बैठक में विचार किया जा रहा है। आयोजना क्षेत्र के सीमांकन में शहरी क्षेत्रों के अतिरिक्त शहरी क्षमता वाले ग्रामीण क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।

(6). प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग द्वारा मुज्जफरपुर आयोजना क्षेत्र के Density Mapping पर विचार विमर्श किया गया एवं पृच्छा गयी कि एक राजस्व गाँव के पुरे क्षेत्र अथवा इसके आंशिक भाग को शामिल किया गया है ? इस संबंध में बताया गया कि राजस्व गाँव के सम्पूर्ण क्षेत्र को आयोजना क्षेत्र को शामिल किया गया है।

(7). विकास आयुक्त द्वारा किये गये पृच्छा के आलोक में नगर आयुक्त, नगर निगम बिहारशरीफ द्वारा बताया गया कि आयोजना क्षेत्र के प्रारूप का प्रकाशन समाचार पत्रों में किया गया एवं आमजनों एवं हितधारकों से सुझाव एवं आपत्तियाँ आमंत्रित किये गये। प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों को निष्पादित कर

विभाग द्वारा जारी दिशा निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा प्रारूप अग्रेत्तर कारवाई हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा गया।

(8). इस तरह की प्रक्रिया के अनुपालन की सूचना मुजफ्फरपुर नगर निगम के उपस्थित प्रतिनिधि एवं सहरसा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा भी दिया गया। गया आयोजना क्षेत्र में प्रस्ताव पर प्रस्तुतीकरण के दौरान विकास आयुक्त इसे औचित्यपूर्ण वताया गया।

(9). (i) **गया आयोजना क्षेत्र** के घटक निम्न है –

क्र० सं०	सी०डी० ब्लॉक	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
01	गया टाउन	77	131.43	1	50.17	181.6
02	बेलागंज	8	13.68	0	0	13.68
03	मानपुर	49	72.47	0	0	72.47
04	परैया	4	5.4	0	0	5.4
05	बोधगया	24	35.16	0	0	35.16
	कुल	**162**	**258.14**	**1**	**50.17**	**308.31**

(ii) **आरा आयोजना क्षेत्र** के घटक निम्न है –

क्र० सं०	सी०डी० ब्लॉक	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
01	आरा	34	61.69	1	30.87	92.56
02	कोइलवर	17	45.08	1	5.32	50.4
03	उदवन्तनगर	17	31.66	0	0	31.66
	कुल	**68**	**138.43**	**2**	**36.19**	**174.62**

(iii) **मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र** के घटक निम्न है –

क्र० सं०	सी०डी० ब्लॉक	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
O1	मुशहरी	115	94.95	01 (मुजफ्फरपुर)	32.32	127.27
O2	काँटी	43	64.54	1	14.76	79.30
O3	मड़वन	23	16.89	0	0	16.89
O4	कुड़हनी	18	25.25	0	0	25.25
O5	बोचहा	10	7.01	0	0	7.01
O6	मीनापुर	7	9.99	0	0	9.99
	कुल	**216**	**218.63**	**2**	**47.08**	**265.71**

(iv) **बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र** के घटक निम्न है –

क्र०	सी०डी० ब्लॉक	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
O1	बिहार	19	24.06	1	20.32	44.38
O2	रहुई	11	8.77	0	0	8.77
O3	नूरसराय	7	5.08	0	0	5.08
	कुल	**37**	**37.91**	**1**	**20.32**	**58.23**

(v) **सहरसा आयोजना क्षेत्र के घटक निम्न है –**

क्र० सं०	सी०डी० ब्लॉक / प्रशासनिक इकाई	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
01	सहरसा	0	0	1	35.89	35.89
02	सत्तर कटैया	21	50.02	0	0	50.02
03	कहरा	34	104.77	0	0	104.77
04	सौर बाजार	24	103.51	0	0	103.51
	कुल	**79**	**258.3**	**1**	**35.89**	**294.19**

(10). पाँचों शहरों यथा गया आयोजना क्षेत्र के सीमांकन (कार्यसूची–5/1), आरा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन (कार्यसूची–5/2), मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र के सीमांकन (कार्यसूची–5/3), बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र के सीमांकन (कार्यसूची–5/4) एवं सहरसा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन (कार्यसूची–5/5) पर बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

(11). सर्वसम्मती से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त पाँचों शहरों की सीमांकन एवं घोषणा हेतु बोर्ड की अनुशंसा राज्य सरकार को भेजी जाय

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह० /–
(शिशिर सिंहा)
विकास आयुक्त, बिहार
सह–अध्यक्ष
बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड, पटना।

ह० /–
(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
सह–सदस्य सचिव
बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड, पटना।

संचिका सं०–11/न०वि०भा०प्लान (बोर्ड)–01/2014......91.........न0वि0 एवं आ0वि0, दिनांक–9/2/17

प्रतिलिपि–कृषि उत्पादन आयुक्त / प्रधान सचिव / सचिव–कृषि विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–स्वास्थ्य विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–योजना एवं विकास विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–पंचायती राज / प्रधान सचिव / सचिव–उद्योग विभाग / प्रधान सचिव/ सचिव–वित्त विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–ग्रामीण विकास विभाग/ प्रधान सचिव/ सचिव–शिक्षा विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–जल संसाधन विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–पर्यावरण और वन विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–पथ निर्माण विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–भवन निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव/ सचिव–परिवहन विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–आपदा प्रबन्धन विभाग / सचिव–विधि विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–पर्यटन विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–युवा कला एवं संस्कृति विभाग / प्रधान सचिव/ सचिव–ग्रामीण कार्य विभाग / प्रधान सचिव / सचिव–खाद्य एवं आपूर्ति (नागरिक) विभाग / सरकार द्वारा मनोनीत नगर एवं क्षेत्रीय योजना के राष्ट्रीय प्रसिद्धि के दो विशेषज्ञ / महाधिवक्ता द्वारा मनोनीत वरीय विधि पदाधिकारी / मुख्य नगर निवेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग / जिलाधिकारी, गया / आरा /

मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ / सहरसा / नगर आयुक्त, नगर निगम गया / आरा / मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद सहरसा को बोर्ड की बैठक की कार्यवाही की प्रति सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन,

9.2.17

विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

संचिका सं०–11/न०वि०मा०प्लान (बोर्ड)–01/2014...91/.........न0वि0 एवं आ0वि0, दिनांक–9/2/17

प्रतिलिपि– विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन,

9.2.17

विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।